न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 17/2010
प्रविष्टि दिनांकः– 26.05.2010

जगदीश प्रसाद पुत्र काना जाति माली निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

..... अपीलांट

बनाम

1–घासी पुत्र छीतर जाति माली निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक
2–रामकिशन पुत्र छीतर जाति माली निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक
3–सरपंच ग्राम पंचायत पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय अध्यक्ष वितकर एंव प्रशासन समिति पंचायत समिति मालपुरा दिनांक 10.12.2009 उनवान घासी बनाम जगदीश प्रसाद अपील विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत पचेवर

उपस्थितः (1) श्री नंदकिशोर सैनी, अभिभाषक अपीलांट
(3) श्री राजकुमार कासलीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक 27.02.2020

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि प्रशासन एंव वित स्थायी समिति मालपुरा कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 10.12.2009 से ग्राम पंचायत पचेवर पंचायत समिति मालपुरा द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 05.02.1999 को जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त किये जाने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोडेण्ट्स की जरिये नोटिस तलबी की गई एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई । प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि0 एक्ट पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभिभाषकगण की प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दोराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत रूप से नोटिस नही दिया गया है और ना ही साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे गलत तथ्यो को पेशकर एक तरफा निर्णय पारित करवाया है। विवादित सम्पति के संबंध मे पक्षकारो के मध्य सिविल कोर्ट मे मुकदमा विचाराधीन था,जिसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो अपने क्षैत्राधिकार क्षैत्र से बाहर है। रेस्पोडेण्ट द्वारा की गयी अपील अधीनस्थ न्यायालय मे स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी,फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा निर्णय पारित कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी भी सूरत मे स्टैण्ड रखे जाने योग्य नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

भारद्वाज जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि ग्राम पंचायत पचेवर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही निर्माण स्वीकृति जारी की है। पंचायत राज अधिनियम 1994 मे द्वितीय अपील करने का प्रावधान नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2009 को निर्णय पारित किया गया है,उक्त निर्णय को चैलेज दिनांक 26.05.2010 को किया जा रहा है। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ–खण्ड मालपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2014 मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया गया है। निर्माण स्वीकृति बिना प्रस्ताव के जारी नही की जा सकती है। निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व पत्रावली बनाना आवश्यक है। द्वितीय अपील के साथ भी कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किये है। पंचायत राज अधिनियम मे किसी व्यक्ति को पंचायत समिति मे अपील पेश करने हेतु आज्ञा की आवश्यकता नही है। साक्ष्य सबूत अपीलीय न्यायालय मे प्रस्तुत नही किये है। विवादित भूमि खाली है। 100 रूपये से ज्यादा का हस्तान्तरण पंजीकृत होना चाहिए जो नही है। ग्राम पंचायत को अधिकार नही है। पंचायत समिति के आदेश के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा मे नही हो सकती है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2006(1) पेज 489,डब्ल्यू.एल.सी.(एस.सी.)2004(2) पेज 456,आर.आर.टी 2004(2) पेज 921 व आर. आर.टी 2002(2) पेज 737 उद्वरित किये है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण कि बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तथा प्रस्तुत दृष्टान्त का गहन अध्ययन किया। ग्राम पंचायत पचेवर पंचायत समिति मालपुरा द्वारा दिनांक 05.02.1999 को जगदीश प्रसाद पुत्र काना जाति माली निवासी पचेवर को निर्माण कार्य बाबत स्वीकृति प्रदान की गई है,जिसके विरूद्व प्रशासन एंव वित स्थायी समिति मालपुरा कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर दिनांक 10. 12.2009 को निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत पचेवर के आदेश को निरस्त किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांट ने उक्त भू–खण्ड क्रय किया है जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत पचेवर ने अपीलांट द्वारा नियमानुसार राशि जमा होने के उपरान्त आम रास्ते मे किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे तथा छत का पानी सटवा पाईप से निकाले की शर्त पर निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे गलत तथ्यो को पेशकर एक तरफा निर्णय पारित करवाया है। प्रशासन एंव वित स्थायी समिति मालपुरा कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 10.12.2009 पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नही किया है और न ही सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने तर्क दिया है कि ग्राम पंचायत पचेवर द्वारा नियम विरूद्व निर्माण स्वीकृति दी गई है। ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेण्ट की भूमि पर अपीलांट को निर्माण स्वीकृति जारी की गई है जो गलत है। 100 रूपये से ज्यादा का हस्तान्तरण पंजीकृत होना चाहिए। ग्राम पंचायत को अधिकारी नही है। निर्माण स्वीकृति बिना प्रस्ताव व विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही जारी की गई है। निमार्ण स्वीकृति जारी करने से पूर्व पर्चा मौका /मौका निरीक्षण करना आवश्यक है।

पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलार्थी के हक मे ग्राम पचेवर मे रेस्पोडेण्ट से क्रय की गई भूमि पर ग्राम पंचायत पचेवर द्वारा दिनांक 05.02.1999 को निर्माण स्वीकृति जारी की है। अपीलार्थी के हक मे ग्राम पंचायत पचेवर द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति दिनांक 05.02.1999 के विरूद्व रेस्पोडेण्ट द्वारा पंचायत समिति मालपुरा मे अपील प्रस्तुत करने पर पंचायत समिति मालपुरा द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया तथा पंचायत समिति

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

की आदेशिका दिनांक 10.12.2009 मे भूमि की किस्म गै0मु0 आबादी बताया है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अपीलार्थी के हक मे जारी निर्माण स्वीकृति आदेश दिनांक 05.02.1999 को पंचायत समिति मालपुरा द्वारा बिना किसी वैध आधार के दिनांक 10.12.2009 को खारिज किये जाने से पंचायत समिति मालपुरा का अपीलधीन आदेश दिनांक 10.12.2009 खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर, टोक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 13:50:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: